Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 02, (जुलाई, 2024)
पृष्ठ संख्या 26–29

महिला विकास हेतु योजनाएं एवं प्रयास

सरिता श्रीवास्तव[1], आकांक्षा सिंह[2], डॉ प्राची शुक्ला[3] एवं प्रो. सुमन प्रसाद मौर्य[4]

सहायक प्राध्यापक[1,3], यंग प्रोफेशनल -II[2], प्राध्यापक[4]

मानव विकास और परिवार अध्ययन विभाग,

सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: – singhakku3216@gmail.com

देश व समाज के विकास में महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुषों का, हमारे देश की लगभग 48% आबादी महिलाओं की है। वह हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं। समाज में उन्हें वही स्थान मिलना चाहिए जो पुरुषों का है। उनका हर क्षेत्र में सशक्तिकरण होना चाहिए। उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा सभी संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर उनका समान अधिकार होना चाहिए। उनके विकास के बिना हमारे देश का विकास संभव नहीं है। उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है । महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। महिलाओं को अपने बारे में निर्णय लेने एवं समाज में अपनी पसंद ना पसंद के कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें समाज की पृष्ठभूमि इस प्रकार तैयार करनी होगी जहां हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर से भागीदारी हो सके। महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह सेना में जाकर देश की रक्षा करना, पुलिसकर्मी बनना,स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का हो। वर्तमान समय में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें घरेलू हिंसा तथा लिंग– भेद का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को विकास का अवसर देने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सुरक्षा आदि के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत है:

महिला हेल्पलाइन योजना :

इस योजना के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर निर्धारित किया गया है । यदि महिला किसी अपराध से ग्रसित हो जाती है तो तुरंत वह इस नंबर पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकती है। 181 एक ऐसा नंबर है जिस पर फोन करने पर महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान की जाती है। इस नंबर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी जाती है। यह नंबर 24 घंटे काम करता है। यह नंबर महिलाओं को सहायता करने वाली सभी संस्थाओं से जुड़ा रहता है। यदि महिला को पुलिस, चिकित्सा, आश्रय आदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो इस नंबर पर फोन कर सकती हैं।

वन स्टॉप सेंटर :

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 'वन स्टॉप सेंटर' की शुरुआत की गई है ।इस योजना का एक नाम

सखी भी है। इन केंद्रों द्वारा ऐसी महिलाओं की सहायता की जाती है जो समाज, घर– परिवार या कार्यालय स्थल पर किसी भी प्रकार के अपराध का शिकार होती हैं। 'वन स्टॉप सेंटर' ऐसे केंद्र होते हैं जो पीड़ित महिलाओं को सहारा देने के साथ–साथ उनकी भोजन, चिकित्सा, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक सलाह आदि, सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करते हैं। इसीलिए इन केंद्रों को 'वन स्टॉप सेंटर' कहा जाता है ।इन केंद्रों में अपराध के शिकार हुई कोई भी महिला आश्रय ले सकती है ।

स्वाधार:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निराश्रित व कठिन परिस्थितियों जैसे घरेलू हिंसा, जेल से छूटी महिलाएं, प्राकृतिक आपदा ग्रस्त महिलाएं, धोखे से घर से लाई गई महिलाओं के लिए स्वाधार योजना चलाई गई है। यह ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास वर्तमान समय में अपना कोई आश्रय नहीं होता है। इस योजना में इन महिलाओं को आश्रय, भोजन कपड़े तथा स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। यह महिलाएं स्वाधार केंद्रों में कुछ समय तक रहती हैं। इन केंद्रों में उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में उनकी सहायता की जाती है। जिससे वह स्वावलंबी होकर समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके।

राष्ट्रीय शिशु गृह योजना :

यह योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी कामगार महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बनाई गई है जो माह में कम से कम 15 दिन या वर्ष में 6 माह तक नौकरी या मजदूरी का कार्य करती हैं। इस योजना में इन महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिनभर के भोजन, चिकित्सा, टीकाकरण तथा शिक्षा का प्रबंध किया जाता है जिससे कामगार महिलाओं के बच्चों का सही विकास हो सके तथा महिलाएं बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य कर सकें।

कामकाजी महिला छात्रावास :

यह योजना सन 2017 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करना है। इन छात्रावासों में रहकर महिलाएं निश्चिंत होकर नौकरी कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना :

यह योजना 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती तथा धात्री माता के स्वास्थ्य की देखभाल करना है ।इस योजना के अंतर्गत माता को ₹5000 की धनराशि प्रदान की जाती है ।यह धनराशि तीन किस्तों में दी जाती है जिससे महिलाएं इसे अपने भोजन तथा स्वास्थ्य की देखभाल में व्यय कर सके उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक असमर्थता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्रसव के पूर्व व उसके पश्चात कुछ समय तक महिलाएं काम पर नहीं जा पाती हैं जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी महिलाएं पूर्व में चलाई जाने वाली जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ ले सकती हैं।

- **जननी सुरक्षा योजना:**यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 12 अप्रैल वर्ष 2005 को प्रारंभ की गई इसका उद्देश्य माता व नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी करने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं दी जाती हैं––

- गर्भवती माता की सारी चिकित्सीय जांच निशुल्क की जाती है।
- प्रसव तथा प्रसव के उपरांत 2 दिन तक अस्पताल में रुकने की निशुल्क

सुविधा दी जाती है, जिससे जच्चा - बच्चा की देखभाल हो सके।

- ग्रामीण क्षेत्र की गरीब गर्भवती माता को ₹1400 तथा शहरी क्षेत्र की माताओं को ₹1000 दिए जाते हैं जिससे वह अपनी पोषण तथा अन्य चिकित्सीय आवश्यकताओं हेतु किसी पर निर्भर ना रहे।
- प्रसव के बाद भी माता को फोन द्वारा बच्चों के टीकाकरण संबंधी आवश्यक संदेश दिए जाते हैं।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला को किसी सरकारी अस्पताल में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

उज्ज्वला योजना :

महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा घर के वातावरण को रसोई के धुएं से रहित बनाने के उद्देश्य से उज्ज्वला योजना की शुरुआत सन 2016 में की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यह कनेक्शन महिला लाभार्थियों के नाम पर ही दिए गए हैं। गैस कनेक्शन देने के साथ–साथ गैस का चूल्हा खरीदने तथा रसोई गैस को दोबारा भरवाने हेतु आसान किस्तों पर ऋण की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को रसोई के धुएं से छुटकारा मिलेगा और वह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहकर स्वस्थ रह सकेंगी।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:

यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी । इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में किया गया था, क्योंकि हरियाणा राज्य में महिला एवं पुरुष का अनुपात सबसे कम है ।इस योजना का मुख्य लक्ष्य लिंग अनुपात में सुधार करना एवं बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें सक्षम बनाना है। जिससे बालिकाओं के पालन – पोषण में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के विकास के लिए कई कार्य किए जाते हैं जैसे-

- समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी तथा इंटरनेट के माध्यम से अभियान चलाकर बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव लाने का प्रयास करना।
- बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाना तथा ऐसा वातावरण तैयार करना जहां बालिकाएं निर्भय होकर शिक्षा ग्रहण कर सके।
- यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना।
- बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार करना
- शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
- संस्थागत प्रसव की संख्या में वृद्धि करना।
- मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड बनवाना । जिससे बालिका के पालन – पोषण पर निगरानी रखी जा सके।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना :

इस योजना का प्रारंभ सन 2004 में किया गया। यह एक आवासीय विद्यालय योजना है जहां ग्रामीण क्षेत्र की गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक परिवार की बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाती है। यहां बालिकाओं को भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें तथा सभी दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की जाती हैं । बालिकाओं के विकास एवं शिक्षा के लिए सरकार द्वारा देश तथा प्रदेश स्तर पर अन्य कई योजनाएं जैसे कन्या समृद्धि योजना,

बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना आदि चलाई जा रही हैं ।

महिला उद्यमी निधि योजना:

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं। व्यवसाय शुरू करने हेतु महिला को 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 10 वर्ष रखी गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला द्वारा 'महिला स्टार्टअप हब पोर्टल' पर जाकर आवेदन किया जाता है।

प्रदर्शनी/उत्सव :

इस योजना के अंतर्गत दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शनी लगाई जाती है तथा उत्सव आयोजित किए जाते हैं । जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की उद्योगी तथा कृषक महिलाएं अपने सामानों को प्रदर्शित कर सकती हैं तथा सीधे उनकी बिक्री कर सकती हैं। सरकार का यह प्रयास वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इन प्रदर्शनियों में भाग लेकर के महिलाओं को आर्थिक लाभ होता है ,साथ ही वह एक दूसरे से मिलकर के आगे और अधिक उत्साह कार्य करती हैं।

महिला इ–हॉट :

यह एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर महिलाएं सीधे ग्राहक को अपना सामान बिक्री कर सकती हैं। इस योजना से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही महिला सीधे किसी भी क्षेत्र में बैठे ग्राहक को अपना सामान बेंच सकती हैं। यह प्रक्रिया इतनी आसान है की महिलाएं अपने मोबाइल फोन द्वारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती है।

मिशन शक्ति योजना:

यह योजना शीघ्र शुरू की गई है। इस योजना में महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं को जल्दी तथा मिशन के रूप में चलाई जाने की बात कही गई है, जिससे महिलाओं को सभी योजनाओं का उनकी आवश्यकता अनुसार समय से लाभ दिया जा सके।

निष्कर्श:

इन योजनाओं के अतिरिक्त सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार के कार्य किया जा रहे हैं जैसे–महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण, पंचायत, विधानसभा व संसद के चुनाव में आरक्षण आदि। महिलाओं के फायदे के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। पति की मृत्यु के बाद उसकी चल-अचल संपत्ति पर विधवा का भी उतना ही हक दिया जा रहा है, जितना उसके बच्चों का है। पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर उसकी विधवा का नाम लिखना आवश्यक कर दिया गया है। महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं जिसमें प्रशिक्षण लेकर वह आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए जाने वाले प्रयास सराहनीय हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर इनका प्रभाव व्यापक स्तर पर नहीं दिखाई देता है। आज भी यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ देखें तो वहां महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इन महिलाओं तक सरकार द्वारा दी योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर महिलाओं के विकास के लिए कार्य करें और अपने देश व समाज को समृद्धिशाली बनाएं।